

बिहार सरकार
राजस्व एवं सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

दि०-30-12-13

चूँकि बिहार के राज्यपाल के यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-आदापुर, थाना न०-171, जिला-पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इण्डो-नेपाल बोर्डर रोड सड़क निर्माण अंचल-छोड़ादानों के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गांव-रघुनाथपुर, थाना न०-171 के भीतर कमोवेश वीघा X कठ्ठा X धुर है जो 7.38 एकड़ के बराबर होता है।

अंश खेसरा-262,280,279,276,277,278,290,291,289,292,293,305,306,308,303,304,302,301,312,314,
315,347,415,300,349,316,317,458,420,422,423,424,428,426,432,431,430,441,440,
439,438,442,443,513,526,445,500,501,502,512,519,518,510,507,506,
पूर्ण खेसरा-310,309,311,427,508

चौहदी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:-खेसरा न०-280,279,287,291,289,290,291,306,308,312,314,315,340,349,347,316,458,
420,424,426,432,431,440,439,442,443,445,500,502,501,507,506,513,594
सभी आंशिक तथा 438 पूर्ण

दक्षिण:-खेसरा न०-292,280,279,277,292,293,304,305,302,311,310,300,340,347,415,417,420,
422,423,418,429,430,441,442,513,526,519,518,512,510,513 सभी आंशिक
एवं 513 पूर्ण

पूरब:-सीमा रेखा भगहा

पश्चिम:-सीमा रेखा कमौली

यह अधिसूचना(बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा यथा संशोधित)अधिनियम-1,1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भूमि-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी और उनके स्टाफ तथा परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे रेलवे के पदाधिकारियों और उनके स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर/कृषि योग्य है तथा उसका/उनका तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिये उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा(4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगा।

समाहर्ता:-

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी


बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०

सरकार के अवर सचिव
राजस्व भूमिसुधार विभाग
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पू0 चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।